


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021

## कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 द्वारा प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष एवं व्याख्याता-स्कूल शिक्षा के स्थानान्तरण आदेश प्रसारित किये गये हैं उक्त आदेशों में यदि किसी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में कार्यरत प्रधानाचार्य एवं व्याख्याता, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो गया है अथवा एसीबीईओ-11 पद पर चयनित हो गये हैं, तो उन्हें स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया जावे। वे यथावत ही कार्यरत रहेंगे। जिन नवकर्मोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों का पदस्थापन हो चुका वहां से अधिशेष प्रधानाध्यापक-मावि को तत्काल ही निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर हेतु कार्यमुक्त किया जावे। साथ ही यदि किसी नवकर्मोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण/समायोजन अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो गया हो तो संबंधित प्रधानाध्यापक-मावि को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर हेतु कार्यमुक्त किया जावे। उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
3. उप शासन सचिव शिक्षा(ग्रुप-2) राजस्थान सरकार जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को उक्त आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करने बाबत।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करावे।
8. संबंधित नियंत्रण अधिकारी/संस्था प्रधान।
9. संबंधित कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि वर्णित स्थिति में स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न हों अन्यथा स्थिति के लिये वे स्वयं व्यक्तिशः उत्तरादायी रहेंगे।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)